



कार्यालय  
मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश  
लोक भवन, लखनऊ

75  
आज़ादी का  
अमृत महोत्सव

संख्या 1220/चौतीस-लो०शि०-5/2023

दिनांक 27/12/2023

**मानव सम्पदा (eHRMS) पोर्टल**

मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी विवरणों के ऑनलाइन रखरखाव तथा मैरिट बेस्ड ऑनलाइन स्थानान्तरण किए जाने हेतु मानव सम्पदा पोर्टल विकसित किया गया है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से समय-समय पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

2. इस सम्बन्ध में कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या 1048/चौतीस-लो०शि०-5/2023 दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके प्रस्तर 3(1) में अपेक्षा की गई थी कि "माह दिसम्बर, 2023 का वेतन जो 01 जनवरी, 2024 को देय होगा, वह मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ही जारी किया जाए।"

3. मानव सम्पदा पोर्टल पर उक्त के सम्बन्ध में तैयारियों की समीक्षा दिनांक 26 दिसम्बर, 2023 को की गई, जिसमें यह पाया गया कि अधिकांश विभागों द्वारा तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं यथा स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग आदि परन्तु कतिपय विभागों में कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी है, जिस कारण इन विभागों के कर्मिकों का दिसम्बर, 2023 माह का वेतन बाधित होने की सम्भावना है।

4. उपर्युक्त के दृष्टिगत कर्मिकों का वेतन मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ही जारी किए जाने की समयावधि एक माह के लिए बढ़ाई जाती है। अब माह जनवरी, 2024 का वेतन जो 01 फरवरी, 2024 को देय होगा, वह मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ही जारी किया जाए।

5. तथापि ऐसे कार्यालयों को चिन्हित किया जाए जहां उपर्युक्त कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण नहीं हो सकी है। ऐसे कार्यालयों में विलम्ब हेतु दोषी अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कर्मिक विभाग के माध्यम से एक पक्ष के भीतर मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराए जाने की अपेक्षा की गई है।

  
27.12.2023  
(एस०पी० गोयल)  
अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री  
उत्तर प्रदेश शासन।

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,  
उ०प्र० शासन।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तर प्रदेश।

संख्या- /चौंतीस/ लो०शि०अनुभाग-5/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, कार्मिक, उ०प्र० शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त, उ०प्र० शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, NIC उत्तर प्रदेश।
8. श्री ए०के०रावत, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, NIC उत्तर प्रदेश।

27.12.2023



कार्यालय  
मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश  
लोक भवन, लखनऊ

75  
आज़ादी का  
अमृत महोत्सव

संख्या 1048/चौलीस-लोक शिरो 51 2023

दिनांक 31/10/2023

मानव सम्पदा पोर्टल (eHRMS)

कृपया मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-7/2023/293/सामान्य/47-का-4-2023, दिनांक 03 अगस्त, 2023 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से कार्मिकों का सेवा विवरण अद्यतन किए जाने, मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रान्सफर सिस्टम बनाए जाने, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (APR) प्रबन्धन, वेतन आहरण, सेवा पुस्तिका प्रबन्धन आदि से सम्बन्धित समस्त कार्य दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 से पोर्टल के माध्यम से ही सम्पादित किए जाने के लिए गए निर्णय के क्रम में मानव सम्पदा पोर्टल के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किए गए हैं।

2. दिनांक 27 अक्टूबर, 2023 को मानव सम्पदा पोर्टल की समीक्षा की गई और पाया गया कि निर्धारित समय सीमा दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 बीत जाने के उपरान्त भी अधिकांश विभागों द्वारा शासनादेश दिनांक 03 अगस्त, 2023 में दिए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है।

3. मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही किए जाने की अपेक्षा की गई है:-

- (1) माह दिसम्बर, 2023 का वेतन जो 01 जनवरी, 2024 को देय होगा, वह मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ही जारी किया जाए।
- (2) सर्विस बुक को मानव सम्पदा पोर्टल पर ई-सर्विस बुक के रूप में परिवर्तित करते हुए सभी प्रकार के अवकाश एवं ACP आदि अन्य सेवा सम्बन्धी कार्यों का निस्तारण दिनांक 01 जनवरी, 2024 से मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ही किया जाए।
- (3) वर्ष 2023-24 की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (APR) मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन दाखिल की जाएं।
- (4) स्थानान्तरण की स्थिति में कार्यमुक्त किए जाने एवं कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ही की जाए।

30/10/2023 गायल  
अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री  
उत्तर प्रदेश शासन।

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव,  
उ०प्र० शासन।
- 2- समस्त विभागध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तर प्रदेश।

